



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122025-268569
CG-DL-E-17122025-268569

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5624]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2025/अग्रहायण 25, 1947

No. 5624]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2025/AGRAHAYANA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5819(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0.000 कि.मी. से 34.700 कि.मी. के NH-23 (143) केरेया से राउरकेला तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ाकरणे / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-23 (143) तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उप जिलापाल पानपोष	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उड़ीसा	सुंदरगढ़	बीरमित्रपुर	1 बांकी 2 ब्राह्मणमरा

NH23 के कि.मी 0 से कि.मी 34.7 तक						3	तलसरा
						4	सीमको
						5	इन्द्रपुर
						6	भालुलता
						7	मुगटोली
					लाठीकटा	1	गोपपाली
						2	लुंगेई
					पानपोश	1	बीजाबाहल
						2	चाद्रीहरिहरपुर
						3	गोबरा
						4	जमुनानाकी
						5	झिटीकिआरा
						6	कुआरमुंडा
						7	लासे
						8	पटुआबाहाल
						9	ठेलीबाहाल
						10	कालोसिहिरिया
						11	सूखाबंध
						12	बघीआज़ोर
						13	कुंभझरिआ

[फा. सं. NHAI/PIU/KJR/NH-143]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2025

S.O. 5819(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 34.700 of the NH-23 (143) Kereya to Rourkela for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of ODISHA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH-23 (143) in the State of ODISHA**

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Collector Panposh	NH23 KM 0 TO KM 34.7	ODISHA	SUNDARGARH	Biramitrapur 1 Banki 2 BRAHMANMARA 3 Talsara 4 Simco 5 Indrapur 6 Bhalulata 7 Mugtoli Lathikata 1 GOPAPALI 2 Lungei Panposh 1 Bijabahal 2 Chadrihariharpur 3 Gobara 4 Jamunanaki 5 Jhitikiara 6 Kuarmunda 7 Lase 8 Patuabahal 9 Therlibahal 10 Kalosihiria 11 Sukhabandha 12 Baghiajore 13 Kumbhajharia	

[F. No. NHAI/PIU/KJR/NH-143]

SHAIKH AMINKHAN, Director